



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70



ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in

दिनांक:...../01/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

विषय: दिनांक 14.01.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 14.01.2025 को पूर्वाह्न 10:00 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

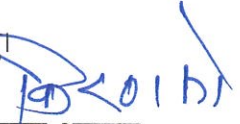
संलग्नक: उपरोक्त


(किरण मोहन मोहाडीकर)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ


उप विकास आयुक्त

नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
(दिनांक 14/01/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा एसईजेड की अध्यक्षता में 14/01/2025 को हाइब्रिड मोड के माध्यम से सुबह 10:00 बजे आयोजित नौएडा एसईजेड अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

- (1) श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, एनएसईजेड
- (2) श्री सबल राय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
- (3) श्रीमती हेमलता हेड़ाऊ, सहायक डीजीएफटी, कार्यालय अपर डीजीएफटी, सीएलए, नई दिल्ली।
- (4) श्री के.सी. तनेजा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नौएडा।
- (5) श्री मयंक जैन, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)।
- (6) श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान सर्वश्री (i) किरण मोहन मोहादिकर, उप विकास आयुक्त, एनएसईजेड, (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, एनएसईजेड, (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त; और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, एनएसईजेड भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. सी. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची पर क्रमिक रूप से चर्चा की गई। अनुमोदन समिति के सदस्यों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श तथा आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय

(1) 23/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 23/12/2024 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इस पर ध्यान दिया और तदनुसार, 23/12/2024 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना।

2.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री आर के शर्मा, श्री आनंद नेगी और श्री नारायण शेटी अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

2.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एलओए में अतिरिक्त अधिकृत संचालन के रूप में 'मैकेनिक कंट्रोल केबल्स (87089900) (460000 पीस/वर्ष) के विनिर्माण' को शामिल करने के मेसर्स सुप्रजीत इंजीनियरिंग लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन फ़ाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेज़ों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

सुरेन्द्र मलिक

(3) कैलाश ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए का नवीनीकरण, अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1 श्री मुकेश भोला, प्रबंधक और इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उन्हें कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषणों के बारे में पूछताछ मिल रही है और उन्होंने इसे अपने एलओए में शामिल करने के लिए आवेदन किया है।

3.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पिछले पांच वर्षों यानी 2019-20 से 2023-24 के दौरान सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि के साथ-साथ यूएसडी के संदर्भ में न्यूनतम मूल्यवर्धन की उपलब्धि को नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि 31/03/2024 तक कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई थी।

3.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, मेसर्स कैलाश ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड के एलओए की वैधता को पांच साल के चौथे ब्लॉक की शेष अवधि के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया, यानी 18/06/2029 तक प्रस्तावित अधिकृत संचालन के लिए यानी "(i) सादे सोने के आभूषण (71131911) (4000 किलोग्राम/वर्ष); (ii) कीमती और अर्ध-कीमती पत्थरों से जड़े सोने के आभूषण (71131915) (500 किलोग्राम/वर्ष)"।

(4) आगरा प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड – मौजूदा अधिकृत परिचालनों की उत्पादन क्षमता को अद्यतन करने, अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करने और प्रदर्शन की निगरानी के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

4.1 श्री रोहित गुप्ता, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

4.2 अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रदर्शन की निगरानी की और पांच वर्षों अर्थात 01/08/2018-31/07/2023 और 01.08.2023 से 31.03.2024 के लिए सकारात्मक एनएफई आय की उपलब्धि को नोट किया। समिति ने 01/08/2018 से 31/07/2023 के दौरान न्यूनतम मूल्य संवर्धन की उपलब्धि को भी नोट किया। अनुमोदन समिति ने यह भी नोट किया कि उपरोक्त अवधि के लिए एपीआर डेटा के अनुसार कोई निर्यात आय प्राप्ति के लिए लंबित नहीं दिखाई गई है।

4.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रत्येक वस्तु की उत्पादन क्षमता को अद्यतन करने के लिए दी गई अनुमति की पुष्टि की। अनुमोदन समिति ने इकाई के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी, जिसमें "प्राकृतिक या संवर्धित मोती, कीमती या अर्ध-कीमती पत्थरों से बने आभूषणों का निर्माण, सफ़ेद धातु और पीतल के सादे और असली और कृत्रिम पत्थरों से जड़े और सादे (71161000, 71162000) (100 किग्रा/वर्ष)" को अधिकृत परिचालन में शामिल किया गया। एचएस अध्याय 7114 और 7115 के तहत अतिरिक्त उत्पादों के प्रस्ताव पर, समिति का विचार था कि ये आभूषण की श्रेणी में नहीं आते। इसलिए इसने इकाई को आगे के विचार के लिए विस्तृत विवरण और एचएस कोड के साथ विशिष्ट निर्यात आदेश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

(5) स्टर्लिंग ऑनर्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

5.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रशांत श्रीवास्तव अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, अधिकृत संचालन में "लैब ग्रीन डायमंड्स (71131144) के साथ चांदी के आभूषणों के विनिर्माण" को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह अनुमोदन फ़ाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेज़ों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

(6) टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-I) - प्रदर्शन की निगरानी।

6.1 बैठक में इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया और प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसने इकाई को निर्देश दिया कि (i) 9 महीने की अवधि से परे बकाया निर्यात आय की वसूली के लिए एडी बैंक/आरबीआई से समय विस्तार की अनुमति प्रस्तुत करें; और (ii) संशोधित एपीआर प्रस्तुत करने के बारे में स्पष्टीकरण दें।

(7) टेक महिंद्रा लिमिटेड (इकाई-IV) - निष्पादन की निगरानी।

7.1 बैठक में इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने इस पर गंभीरता से विचार किया और इकाई को निर्देश देते हुए निष्पादन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया कि (i) 9 महीने की अवधि से अधिक समय में बकाया निर्यात आय प्राप्त करने के लिए एडी बैंक/आरबीआई से समय विस्तार की अनुमति प्रस्तुत करें।

(8) श्री भूमिका इंटरनेशनल लिमिटेड - इकाई के एलओए के पुनरुद्धार के लिए बीओए को प्रस्ताव अग्रेषित करने/सिफारिश करने के लिए यूएसी की कार्योत्तर स्वीकृति के लिए प्रस्ताव।

8.1 श्री देवेंद्र बंसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री बंसल ने बताया कि शेयरधारिता/निदेशकों, पते आदि में परिवर्तन के संबंध में आरओसी के साथ प्रक्रिया एक सप्ताह पहले ही पूरी हो चुकी है।

8.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद एलओए के पुनरुद्धार के लिए बीओए को प्रस्ताव अग्रेषित करने/सिफारिश करने के लिए फाइल पर लिए गए निर्णय के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। अनुमोदन समिति ने श्री बंसल को आरओसी द्वारा अनुमोदित शेयरधारिता/निदेशकों, पते आदि में परिवर्तन से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के साथ-साथ मेसर्स कमोडिटीज ट्रेडिंग बाय कस्टम्स, केएसईजेड को जारी एससीएन की स्थिति पर एक लेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

सुरेंद्र मलिक

(9) सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड - आवश्यक शुल्क/करों का भुगतान करके डीटीए में निर्मित वस्तुओं को एक बार हटाने की अनुमति के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन।

9.1 श्री सुशील कुमार, अधिकृत प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि एक बार की डीटीए बिक्री के लिए दी गई एक बार की अनुमति दिनांक 26.12.24 के विरुद्ध, उन्होंने अभी तक डीटीए क्रेता को केवल कुछ नमूने भेजे हैं तथा उन्हें अभी तक अनुमति का पूर्ण उपयोग नहीं करना है।

9.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, एचएस कोड 85049090 के तहत ईवी चार्जर की पीसीबी असेंबली के 4000 पीस की बिक्री के लिए दी गई अनुमति दिनांक 26/12/2024 को अनुमोदित किया। अनुमोदन समिति ने इकाई को निर्देश दिया कि वह इस कार्यालय के आगे के निर्देशों के लिए दिनांक 26.12.24 की एकमुश्त अनुमति के उपयोग की स्थिति प्रस्तुत करे, यदि कोई हो।

अनुपूरक कार्यसूची

10. स्वाम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड - एनएसईजेड में एक नई इकाई स्थापित करना।

10.1 श्री अभिषेक गंभीर और श्रीमती वर्तिका गंभीर, निदेशकगण श्री दानीश भटनागर और श्री योगेश कुमार यादव प्रतिनिधियों के साथ अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री गंभीर ने बताया कि स्वाम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड स्वान न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड की एक कंपनी है, जो देश में विभिन्न रोटरी एयर और गैस ब्लोअर, वैक्यूम पंप और अन्य उपकरणों में विशेषज्ञता रखती है।

10.2 यह सूचित किया गया कि आवेदन में कुछ कमियां पाई गई हैं, जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना अपेक्षित है।

10.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स स्वाम इंटरनेशनल के एनएसईजेड में एक इकाई स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसके अंतर्गत "(i) रोटरी पिस्टन ब्लोअर पार्ट्स, रोटरी पीडी ब्लोअर, सेंट्रीफ्यूगल पंप, वैक्यूम पंप, गैस बूस्टर, वैक्यूम बूस्टर शोर और प्रदूषण नियंत्रण उपकरण, जल और अपशिष्ट जल उपचार उपकरण, मल्टीस्टेज फिल्टर (84145930) (1700 संख्या/वर्ष); (ii) सभी प्रकार के ब्लोअर के पार्ट्स (84149040) (10000 संख्या/वर्ष)" का निर्माण किया जाएगा। यह अनुमोदन कंपनी के वर्तमान शेयरधारिता पैटर्न सहित फाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

11. स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड - प्लॉट नंबर 149, एनएसईजेड में मेसर्स स्वाम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों का निकास और हस्तांतरण

11.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद पाया कि मेसर्स स्टेबल पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड ने एसईजेड नियमों के नियम 74ए की शर्तों को पूरा किया है। अनुमोदन समिति ने एसईजेड नियम, 2006 के नियम 74ए के अनुसार एनएसईजेड के प्लॉट नंबर 149 में भवन सहित परिसंपत्तियों और देनदारियों के निकास और हस्तांतरण के लिए मेसर्स स्वाम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को सैद्धांतिक मंजूरी देने का फैसला किया। यह (i) हस्तांतरणकर्ता द्वारा निकास औपचारिकताओं की पूर्ति (ii) लागू हस्तांतरण शुल्क का भुगतान और (iii) हस्तांतरणकर्ता की परिसंपत्तियों और देनदारियों को लेने के संबंध में हस्तांतरिती द्वारा एक वचनबद्धता प्रस्तुत करने के अधीन है।

सुरेंद्र मोलिक

12. एक्सकैलिबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

12.1 श्री एम.के. खुल्लर, निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

12.2 यह बताया गया कि इकाई को वर्तमान एचएस वर्गीकरण के अनुसार मौजूदा वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, इकाई को पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तावित वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) कोड और प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं की उत्पादन क्षमता भी प्रस्तुत करनी होगी।

12.3 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स एक्सकैलिबर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिसमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है: "(i) प्रयुक्त, अप्रयुक्त, पुराने, नए, टूटे सादे और जड़े हुए सोने के आभूषणों का पुनर्निर्माण; (ii) प्रयुक्त, अप्रयुक्त, पुराने, नए, टूटे सादे और जड़े हुए चांदी के आभूषणों का पुनर्निर्माण; (iii) शीर्ष 7104 (71131914) के हीरे जड़े हुए, तैयार और अर्ध तैयार सोने के आभूषणों का विनिर्माण; (iv) शीर्ष 7104 (71131144) के हीरे जड़े हुए, तैयार और अर्ध तैयार चांदी के आभूषणों का विनिर्माण"। यह अनुमोदन वर्तमान लागू एचएस वर्गीकरण के अनुसार मौजूदा वस्तुओं के आईटीसी (एचएस) कोड प्रस्तुत करने सहित फाइल/कार्यसूची नोट में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं को प्रस्तुत करने के अधीन होगा।

13. महर्षि आयुर्वेद प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

13.1 बैठक में इकाई से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। अनुमोदन समिति ने मामले को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया।

14. रॉयल एक्सपोर्ट्स - हीरे और हीरे के आभूषणों के सीलबंद स्टॉक को जारी करने का अनुरोध।

14.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, सीमा शुल्क द्वारा शुल्क की मांग की वैधता के बारे में कानूनी राय प्राप्त करने का निर्देश दिया, यदि संबंधित स्टॉक का उपयोग एसईजेड इकाई द्वारा आभूषणों के विनिर्माण और निर्यात के लिए किया जाता है। अनुमोदन समिति ने कानूनी राय के बाद निर्णय लेने के लिए डीसी कार्यालय को अधिकृत किया है।

15. एपीके आइडेंटिफिकेशन - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना।

15.1 यह सूचित किया गया कि अनुमोदन समिति ने 25/11/2024 को आयोजित अपनी बैठक में एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के साथ समझौते को प्रस्तुत करने के अधीन सेमीकंडक्टर (आईसी/चिप/मॉड्यूल) (85423200, 85423100, 85423300, 85423900, 85429000) के व्यापार को शामिल करने के लिए इकाई के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। अब, इकाई ने अपने पत्र दिनांक 07/01/2025 के माध्यम से कहा था कि उन्होंने पहले ही एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स से व्यापार समझौते के लिए अनुरोध किया है। इकाई ने आगे कहा है कि वे 2003 से एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के प्रत्यक्ष खाताधारक हैं और संदर्भ के लिए चालान की प्रति संलग्न की है और उन्हें चिप/आईसी/सेमीकंडक्टर/मॉड्यूल का व्यापार शुरू करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है। आगे बताया गया कि इकाई ने अपने अधिकृत परिचालनों में "मेडिकल

सुरेंद्र मलिक

सेंसर (90181100) (10 करोड़ पीस/वर्ष) का विनिर्माण और निर्यात” को शामिल करने के लिए एक और अनुरोध भी प्रस्तुत किया है।

15.2 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के अधिकृत संचालन में "मेडिकल सेंसर (90181100) (10 करोड़ पीस/वर्ष) के विनिर्माण और निर्यात" को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। अनुमोदन समिति ने एनएक्सपी सेमीकंडक्टर्स के साथ प्रस्तुत चालानों के मद्देनजर, "सेमीकंडक्टर (आईसी/चिप/मॉड्यूल) (85423200, 85423100, 85423300, 85423900, 85429000) के व्यापार को शामिल करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी।

16. प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड - (i) बीओए के निर्णय के अनुसार कार्य निष्पादन की निगरानी; (ii) जॉब-वर्क की अनुमति के लिए इकाई का अनुरोध।

16.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मुकेश टंडन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। श्री टंडन ने बताया कि वे एनएसईजेड परिसर में निर्माण कार्य शुरू कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने जॉब-वर्क के लिए अनुमति मांगी है। उन्होंने आगे बताया कि वे एनएसईजेड परिसर में कच्चा माल आयात करेंगे, जिसे संसाधित किया जाएगा और फिर फाल्टा एसईजेड में सहयोगी कंपनी कल्पना इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड की विनिर्माण सुविधा में जॉब-वर्क के लिए भेजा जाएगा। तैयार उत्पाद को जॉब-वर्कर के परिसर से सीधे निर्यात किया जाएगा और निर्यात आय की वसूली मेसर्स प्लास्टिक प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड के खाते में की जाएगी।

16.2 अनुमोदन समिति ने समुचित विचार-विमर्श के पश्चात जॉब-वर्क के लिए सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की तथा निर्दिष्ट अधिकारी को इकाई से जॉब-वर्क आवेदन के संबंध में अपेक्षित पूर्ण विवरण प्राप्त करने तथा आवश्यक जांच के पश्चात इकाई को एसईजेड नियम, 2006 के नियम 42(2) के अनुसार अंतिम स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार दिया।

17. पैट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड - एक बार निर्यात के लिए दी गई अनुमति का अनुसमर्थन तथा एलओए में अतिरिक्त अधिकृत परिचालनों को शामिल करना

17.1 अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के पश्चात, आईटीसी एचएस कोड 6209, 6111, 6204, 6206, 6211, 6104, 6106, 6109, 6110, 6114 के अंतर्गत निर्मित वस्तुओं के निर्यात के लिए दिनांक 10.01.2025 को दी गई एक बार की अनुमति को एक माह के लिए अनुसमर्थित किया। अनुमोदन समिति ने मेसर्स पैट्रोनस अपैरल्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, जिसमें "एचएस कोड: 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6114, 6115, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6211, 6213, 6214 (इकाई द्वारा लागू सूची के अनुसार और कार्यसूची के साथ संलग्न) के तहत परिधानों के विनिर्माण को शामिल करने का प्रस्ताव है।"

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

सुरेंद्र मलिक

(सुरेंद्र मलिक)
संयुक्त विकास आयुक्त

अ. बिपिन मेनन

(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त